राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2011/ 71 दिनांक 19.1.11

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं सम्बद्व चिकित्सालय।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

:– परिपत्र :–

प्रायः यह देखा गया है, कि वर्ष 2008 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित चिकित्सको को स्थाई करने हेतु आप द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों मे चिकित्सको के नाम/जन्मतिथि/प्रथम नियुक्ति तिथि/प्रोबेशन अवधि पूर्ण करने की तिथि आदि मे त्रुटि होती है, जिसके अनुसार निदेशालय द्वारा जारी आदेशो को संशोधित करने के लिये पत्र प्राप्त हो रहे है, अतः स्थाईकरण हेतु प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओ की जॉच कर ली जावे :–

1. चिकित्सको के नाम/जन्मतिथि/प्रथम नियुक्ति तिथि/प्रोबेशन अवधि पूर्ण करने की तिथि की जॉच उनके सेवाभिलेख से कर ली गई है एवं वह सही है।
2. 2 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र अकिंत कर दिया गया है।
3. यदि चिकित्सक पूर्व मे अन्यत्र पदस्थापित रहा है, तो संबंधित अधिकारी से संतोषजनक सेवा का प्रमण–पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित चिकित्सको की सूची अलग–अलग बनाई गयी है।

यदि स्थाईकरण हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव उपरोक्तानुसार नहीं है, तो चिकित्सको के स्थाईकरण आदेश प्रसारित किया जाना संभव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2011/ 71 दिनांक 19.1.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि परिपत्र विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावे।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर